

कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक— 847 /सी, क्य-सट्टा लखनऊ : दिनांक— 22 जून
2011

समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त,
समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

विषय :- पेराई सत्र 2011-12 के लिए गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति की नीति।

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश में लगभग 42 लाख गन्ना कृषक, कुल कार्यरत 125 चीनी मिलों को 169 सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं 14 चीनी मिल समितियों के माध्यम से गन्ने की आपूर्ति करते हैं। वर्तमान में सहकारी क्षेत्र की 23, व निजी क्षेत्र की 102 चीनी मिलों ने पेराई सत्र 2010-11 में गन्ना पेराई कार्य किया है। प्रदेश की चीनी मिलों कुल उत्पादित गन्ने का लगभग 50 प्रतिशत ही गन्ना पेर पाती हैं। शेष गन्ना गुड़, राब एवं खाण्डसारी तथा बीज आदि में प्रयुक्त होता है। गन्ना किसानों को जब गुड़ तथा खाण्डसारी बनाने वाली इकाई से लाभकारी मूल्य मिलता है तब गन्ना किसान खाण्डसारी तथा गुड़ बनाने वाली इकाईयों को गन्ना आपूर्ति करते हैं तथा जब गुड़ और खाण्डसारी इकाईयों पर अपेक्षाकृत कम लाभकारी मूल्य मिलता है तब किसानों का दबाव मिलों में गन्ना आपूर्ति हेतु बढ़ जाता है। परिणामतः कभी तो चीनी मिलों मार्च में बन्द हो जाना प्रारम्भ हो जाती है और कभी-कभी जुलाई तक गन्ना पेराई करती है, जिससे कम चीनी परता प्राप्त होता है, जिसके कारण चीनी मिलों को हानि होती है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि प्रदेश की चीनी मिलों की पेराई क्षमता, गन्ना उत्पादन तथा चीनी मिलों को गन्ने की उपलब्धता में सन्तुलन बनाया जाए, जिससे चीनी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पेराई हेतु गन्ना उपलब्ध हो सके तथा चीनी मिलों में आपस में गन्ना प्राप्त करने की अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न न होने पाये।

उपरोक्त समस्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए आगामी पेराई सत्र 2011-12 के लिए गन्ने की आपूर्ति नीति घोषित करते हुए, चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं:-

1— चीनी मिलों के लिए गन्ने की आवश्यकता :- गन्ने की आवश्यकता का निर्धारण उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियम) अधिनियम-1953 की धारा-12 के अन्तर्गत अलग से किया जायेगा प्रदेश की सभी चीनी मिलों से

अपेक्षा की जाती है कि वे आवंटित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए, अपने क्षेत्र से गत वर्ष के सापेक्ष गन्ने के ड्राल को अधिक से अधिक बढ़ायें एवं न्यूनतम 60 से 70 प्रतिशत गन्ने का ड्राल प्राप्त करें।

2-बेसिक कोटा :-

बेसिक कोटा गणना की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी –

2 (1) प्रत्येक समिति के कृषकों की भूमि का राजस्व अभिलेखों के आधार पर प्रमाणिक विवरण अनिवार्य रूप से रखा जायेगा तथा वर्ष के दौरान होने वाले परिवर्तनों का संशोधन करके इसे अद्यावधिक किया जायेगा।

2 (2) गन्ने का सट्टा केवल उन्हीं कृषकों का किया जायेगा, जो सहकारी चीनी मिल/गन्ना समिति के नियमतः सदस्य हों तथा जिनके पास राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि हो। रेल, राजस्व, वन एवं सिंचाई विभाग के पट्टेदारों के पट्टे एवं गन्ना क्षेत्रफल के भौतिक सत्यापन के आधार पर गत वर्षों की भाँति सट्टा की सुविधा उपलब्ध होगी।

2 (3-क) गन्ना समितियों के नये सदस्य जो नियमानुसार 31 अगस्त 2011 तक बनाये जायेंगे, उन्हें आगामी पेराई सत्र में गन्ना आपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। जो नये सदस्य बनाये जायेंगे, उनके भूमि अभिलेखों की पुष्टि एन0आई0सी0 कम्प्यूटर सी0डी0 से भी प्रिन्ट आउट लेकर कराया जाय। समिति की सदस्यता ग्रहण करने हेतु सदस्यता फार्म पर कृषक की प्रमाणित तीन फोटो ली जायेगी तथा कृषि योग्य भूमि को सदस्यता पंजिका में अंकित किया जायेगा।

2 (3 ख) समिति के पुराने विधिवत् सदस्य जिन्होंने किन्हीं कारणों से वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति नहीं किया है, का सट्टा उनके नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि के अन्तर्गत गन्ना क्षेत्रफल के सत्यापन के उपरान्त चीनी मिल की औसत गन्ना आपूर्ति पर लागू किया जायेगा।

2 (4) गन्ना समितियों के सदस्यों की ग्रामवार सूची बनायी जायेगी, अगस्त माह में इस सूची की गहन जांच पड़ताल एवं सदस्यों का सत्यापन करके मृतक सदस्यों, अनियमित रूप से बने हुए सदस्यों, भूमिहीन सदस्यों, अयोग्य एवं अनर्ह सदस्यों का नाम सूची से निकालते हुए, नये सदस्यों मृतक वारिस सदस्यों का नाम सूची में अंकित करते हुए, सूची को संशोधित किया जायेगा तथा संशोधित सूची के आधार पर प्रत्येक सदस्य के नाम भू-राजस्व अभिलेखों के आधार पर कृषियोग्य भूमि का विवरण अंकित किया जायेगा।

2 (5 अ) पेराई सत्र 2011–12 के लिए सत्र 2009–10 एवं 2010–11 की आपूर्ति के औसत को आधार मानकर कृषक का बेसिक कोटा निकाला जाएगा। जो कृषक पेराई सत्र 2010–11 में नये सदस्य बने हैं, तथा एक वर्ष ही गन्ना आपूर्ति किए हैं, उनके एक वर्ष के गन्ना आपूर्ति को ही बेसिक कोटा माना जायेगा। इस प्रकार यदि चीनी मिल क्षेत्र में कुल कृषकों का बेसिक

कोटा चीनी मिल की निर्धारित गन्ने की आवश्यकता से कम होता है, तो इस अन्तर की मात्रा को अतिरिक्त सट्टा से पूरा किया जायेगा। अतिरिक्त सट्टा के लिए सामान्य कृषकों से ₹0 2/- प्रति कुन्तल, लघु एवं सीमान्त कृषकों से ₹1/- ₹0 प्रति कुन्तल तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों से 50 पैसा प्रति कुन्तल की दर से जमानत राशि जमा कराई जायेगी, अथवा गन्ना आपूर्ति की प्रथम पर्चियों से वसूल की जायेगी। अनुबन्धित सट्टा की आपूर्ति करने पर इन सभी कृषकों से 50 पैसे प्रति कुन्तल की धनराशि प्रशासनिक शुल्क के रूप में समिति में रोकते हुए, शेष धनराशि सम्बन्धित कृषक को भुगतान की जायेगी। अतिरिक्त सट्टा हेतु कृषकों के प्रार्थना—पत्र दिनांक—15 अक्टूबर तक प्राप्त किए जायें। यदि किसी चीनी मिल की गन्ने की आवश्यकता उपरोक्त व्यवस्था से पूर्ण नहीं हो पाती है, तो अवशेष मात्रा सामान्य बढ़ोत्तरी के माध्यम से उप गन्ना आयुक्त की सस्तुति के उपरान्त स्वीकृति की जायेगी।

2 (5 ब) जिन नई चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2010–11 में ट्रायल किया गया है उन चीनी मिल क्षेत्रों में बेसिक कोटा का आंकलन कुल उपज का अधिकतम् 85 प्रतिशत तक सट्टा किया जायेगा। किन्तु इसकी कुल मात्रा चीनी मिल की निर्धारित गन्ने की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार यदि सट्टा चीनी मिल की निर्धारित गन्ने की आवश्यकता से अधिक हो रहा है, तो उसे प्रोरेटा के आधार पर घटाते हुए कुल सट्टा की मात्रा चीनी मिल की निर्धारित आवश्यकता की सीमा तक लायी जायेगी।

2 (6) उपरोक्त बेसिक कोटा की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित आधार होंगे :—

(क) किसी कृषक की कुल भूमि सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत अनुमन्य भू—क्षेत्र से अधिक नहीं मानी जाएगी।

(ख) कृषक के वास्तविक कृषि योग्य भूमि की गणना करते समय उसकी आवासीय भूमि, बाग, तालाब आदि भू—क्षेत्रों को कुल भूमि क्षेत्रफल में से निकाल दिया जायेगा।

(ग) चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति हेतु किसी कृषक के अधिकतम गन्ना क्षेत्रफल के आंगणन हेतु उसके द्वारा बोया गया गन्ने का शत—प्रतिशत क्षेत्रफल अंकित होगा। कृषक का कुल गन्ना क्षेत्रफल उसके द्वारा धारित कुल कृषि योग्य भूमि से अधिक नहीं होगा।

(घ) सट्टे के प्रयोजन हेतु कृषक द्वारा गत वर्ष में विभागीय पौधशालाओं से बीज के रूप में आपूर्ति की गई गन्ने की मात्रा भी सम्मिलित की जायेगी।

(च) गन्ना उत्पादन की गणना हेतु मिल से सम्बन्धित जनपद में काप कटिंग प्रयोगों पर आधारित प्रति हेक्टेएर औसत उपज को आधार माना जायेगा।

(छ) कृषक के कुल उत्पादन की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी :—

गन्ना उत्पादन (कुन्तल में) = कृषक का वर्तमान वर्ष में गन्ने का क्षेत्रफल (हेक्टेअर) + चीनी मिल से सम्बन्धित जनपद में काप कटिंग प्रयोगों पर आधारित औसत उपज (कुन्तल/हेक्टेअर) (2010–11 की कॉप कटिंग)
(ज) कृषक का गन्ना क्षेत्रफल प्रस्तर 2 (6) (ग) के अनुसार अंकित किया जायेगा।

(झ) जिन किसानों के पास गन्ने की उपज काप कटिंग प्रयोगों की औसत उपज से अधिक है वे आवश्यकतानुसार उपज बढ़ोत्तरी हेतु अपने आवेदन पत्र सम्बन्धित गन्ना समिति के सचिव को निर्धारित शुल्क के साथ 15 सितम्बर, 2011 तक दे सकते हैं। इस हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों, लघु कृषकों एवं अन्य कृषकों से कमशः रु0 10/-, रु0 100/- एवं रु0 200/- का शुल्क जमा कराया जायेगा। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना विकास निरीक्षक आवेदनकर्ता किसानों के उपज की शत-प्रतिशत जांच कराकर उपज के वास्तविक आंकड़े सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे। ऐसे 25 प्रतिशत न्यूनतम् 50 प्लाटों की जिला गन्ना अधिकारी द्वारा स्वयं जांच की जायेगी। परिषद क्षेत्र से प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच के उपरान्त अधिकतम् उपज के 10 प्रतिशत प्रकरणों का सत्यापन, विशेष रूप से अधिक उपज को चिह्नित करते हुए, क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त के स्तर से किया जायेगा। स्थिति से संतुष्ट होने पर क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त उपज बढ़ोत्तरी पर उचित निर्णय लेंगे। अन्तिम कलेण्डर जारी होने के पूर्व यह कार्यवाही प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाए।

(ट) किसी भी कृषक के कुल सट्टा की सीमा उसकी भू-जोत के अनुसार वर्गीकरण कर उसके सम्मुख अंकित मात्रा तक निम्नवत् निर्धारित होगी।—
1— सीमान्त कृषकों— 1 हेक्टेयर (अधिकतम् 750 कुन्तल अथवा उपज बढ़ोत्तरी की दशा में अधिकतम् 1000 कुं0 तक)
2— लघु कृषकों— 2 हेक्टेयर (अधिकतम् 1500 कुन्तल अथवा उपज बढ़ोत्तरी की दशा में अधिकतम् 2000 कुं0 तक)
3— सामान्य कृषकों— 5 हेक्टेयर (अधिकतम् 3750 कुन्तल अथवा उपज बढ़ोत्तरी की दशा में अधिकतम् 5000 कुन्तल तक)
4— अधिकतम् मात्रा का निर्धारण, गन्ना क्षेत्रफल(हैक्टेयर) + 750 कुं0 अथवा उपज बढ़ोत्तरी की दशा में 5000 कुं0 में से जो भी कम हो, किया जायेगा।
(ठ) विश्वविद्यालय, गन्ना बीज निगम, चीनी मिल, केन्द्र या राज्य सरकार के कृषि विभाग, जेल, पंजीकृत सहकारी संस्था, जिनके नाम भूमि हो, के कृषि फार्म, सट्टे की अधिकतम सीमा से मुक्त रहेंगे जिसके लिए गन्ना आयुक्त की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।

(ङ) ऋण वसूली के हित में गन्ना समितियों के पुराने बकाएदारों के सट्टे बकाए की सीमा तक किये जा सकते हैं, परन्तु वह मात्रा कुल गन्ना उत्पादन के 85 प्रतिशत मात्रा से अधिक नहीं होगी।

2 (7 अ) अतिरिक्त सट्टा के लिए वर्ष 2011–12 में गन्ना सर्वेक्षण के समय कृषक के पास उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल की सूचना तथा कृषक के बेसिक कोटा के अतिरिक्त व कितना गन्ना और मिल को आपूर्ति करना चाहता है, का कृषक से मांग—पत्र लिया जायेगा। इसकी सूचना समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर भरकर गन्ना सर्वेक्षण के समय ही कृषक द्वारा दी जायेगी। इस प्रकार कृषक के पास उपलब्ध बेसिक कोटा के अतिरिक्त गन्ने की मात्रा, सामान्य बढ़ोत्तरी/अतिरिक्त सट्टे को मिलाकर कुल सट्टा उपज के 85 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगा। यह अतिरिक्त सट्टा/सामान्य बढ़ोत्तरी चीनी मिल की निर्धारित गन्ने की आवश्यकता तथा कोटा के अन्तर की सीमा तक ही अनुमन्य होगी। इस बढ़ोत्तरी हेतु सर्वेक्षण के समय तथा कृषकों से गन्ने का आफर प्राप्त करने से पूर्व प्रस्तर—2 (5 अ) के अनुसार प्रति कुन्तल की दर से जमानत/प्रशासनिक शुल्क लिये जाने के प्रतिबन्ध को कृषकों को स्पष्ट कर दिया जाय, अतिरिक्त सट्टा की सीमा तक निर्धारित जमानत/प्रशासनिक शुल्क की कटौती गन्ना मूल्य की प्रथम पर्ची के भुगतान से किये जाने के लिए आवेदनकर्ता कृषक सहमत है। इस प्रकार प्राप्त आकड़ों को अन्तिम माना जायेगा तथा मध्य सीजन में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

कृषकवार अतिरिक्त सट्टे की कडाई से जांच की जायेगी। 25 प्रतिशत जांच जिला गन्ना अधिकारी तथा शत—प्रतिशत जांच गन्ना विकास निरीक्षक/ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा की जायेगी।

2 (7 ब) कृषकवार सट्टे की सूची का प्रदर्शन सम्बन्धित ग्राम प्रधान/गन्ना पर्यवेक्षक एवं मिल कर्मचारी द्वारा निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थल पर ग्रामवार प्रदर्शन 1 से 15 अगस्त के बीच सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा सम्बन्धित चीनी मिल के गन्ना प्रबन्धक के पर्यवेक्षण में अनिवार्य रूप से किया जायेगा। ग्रामवार प्रदर्शन की तिथियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा तथा सूची पर किसानों की आपत्तियां प्राप्त की जायेगी, जिसे एक पंजिका में सूचीबद्ध किया जायेगा। किसानों द्वारा प्रस्तुत लिखित आपत्तियों की जांच परिणामों के आधार पर प्रदर्शित सूची में अंकित सट्टे की मात्रा में संशोधन करने का अधिकार संयुक्त रूप से ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/मुख्य गन्ना प्रबन्धक का होगा।

2 (8 अ)— कलेण्डर की तैयारी कम्प्यूटर में करने के पूर्व उसके चेक लिस्ट की जांच सम्बन्धित ब्लाक इंचार्ज से करवाना अनिवार्य होगा। यह चेकलिस्ट कम्प्यूटर से दो प्रतियों में तैयार कर ब्लाक इन्चार्ज को उपलब्ध करायी जायेगी। जांच के उपरान्त चेक लिस्ट की एक प्रति कम्प्यूटर में संशोधन हेतु

भेजी जायेगी तथा एक प्रति ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के कार्यालय में अनुरक्षित रहेगी ।

2 (8 ब) उपरोक्तानुसार संशोधित सूची कम्प्यूटर से 5 प्रतियों में बनाई जायेगी तथा सूची में कोई काट-पीट न हो तथा यह सूची सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी एवं चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित रहेगी । इस सूची की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त कम्प्यूटर सी0डी0 की एक-एक प्रति सम्बन्धित गन्ना समिति, जिला गन्ना अधिकारी, उप गन्ना आयुक्त तथा चीनी मिल में तथा पांचवी प्रति ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के कार्यालय में अनुरक्षित रहेगी । उपरोक्त समस्त कार्यवाही 31 अगस्त तक अवश्य हो जानी चाहिए । इसे गन्ना विभागीय, जिलाधिकारी, तथा चीनी मिलों की वेबसाइट पर भी डाल दिया जाय । इसके बाद सर्वे सम्बन्धी आपत्ति के प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होंगे ।

2 (8 स) कृषकों के प्री-कलेण्डर पश्चिमी क्षेत्र में 15 अक्टूबर, तक तथा मध्य एवं पूर्वी क्षेत्र में 31 अक्टूबर तक वितरित किए जायेंगे । कृषकों से प्राप्त आपत्तियों (सर्वे सम्बन्धी को छोड़कर) को एक रजिस्टर पर कमबद्ध कर निस्तारित किया जाय ।

2 (9 अ) उपरोक्तानुसार निर्धारित सट्टे की मात्रा के लिए गन्ना समिति द्वारा प्रत्येक कृषक से निर्धारित रूप-पत्र पर अनुबन्ध भराया जायेगा ।

2 (9 ब)— अन्तिम कलेण्डर तीन प्रतियों में बनाये जायेंगे । एक प्रति सम्बन्धित किसान को, दूसरी प्रति समिति में उपयोग हेतु तथा तीसरी प्रति चीनी मिल के पास उपलब्ध रहेगी

3— कृषकों के निर्धारित सट्टें से अधिक गन्ने की खपत के सम्बन्ध में छूट :
यदि किसी कृषक के पास उसके निर्धारित सट्टे से अधिक गन्ना उपलब्ध है तो उसे वह खाण्डसारी इकाईयों को आपूर्ति करने या गुड़ बनाने में उपयोग करने आदि में स्वतंत्र होगा तथा सट्टे से अधिक उत्पादित गन्ने की खरीद हेतु चीनी मिलों का कोई दायित्व नहीं होगा ।

4— सट्टे से कम आपूर्ति एवं खरीद होने की दशा में पेनाल्टी :

जो कृषक निर्धारित सट्टे की मात्रा का 85 प्रतिशत के बराबर गन्ने की आपूर्ति चीनी मिल को करेगें । उनसे कोई पेनाल्टी नहीं ली जायेगी, किन्तु 85 प्रतिशत से कम आपूर्ति होने पर कृषक को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद) आदेश-1954 के प्राविधानों के अनुसार पेनाल्टी देय होगी । इसी प्रकार यदि कोई चीनी मिल गन्ना समिति के साथ सम्पन्न अनुबन्ध के अनुसार गन्ने की खरीद नहीं करेगी तो उसे भी ७०प्र० गन्ना (पूर्ति तथा खरीद) आदेश 1954 के प्रविधानों के अनुसार समिति को पेनाल्टी देना होगा ।

5— गन्ना सर्वेक्षण एवं गन्ना आपूर्ति :

5 (1) गन्ना सर्वेक्षण गन्ना विभाग तथा चीनी मिल कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा जिसके लिए विस्तृत निर्देश परिपत्र संख्या—626 /सी/क्य/सर्वे दिनांक 25—05—2011 द्वारा जारी कर दिये गये है। उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियम) अधिनियम—1953 की धारा 5 (1) (ए) के अनुसार संयुक्त रूप से किए गये गन्ना सर्वेक्षण में लगने वाले समिति स्टाफ पर होने वाला व्यय सम्बन्धित चीनी मिल वहन करेगी। सर्वेक्षण में समिति द्वारा लगाये जाने वाले स्टाफ की अधिकतम संख्या 20 होगी तथा यह अवधि दो माह से अधिक नहीं होगी। यदि इसमें अधिक स्टाफ की आवश्यकता है तो इसकी स्वीकृति परिक्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त से प्राप्त की जायेगी।

5 (2) गन्ना पूर्ति से सम्बन्धित कार्यों का उत्तरदायित्व गन्ना समिति के सचिव इन्वार्ज का होगा। सचिव गन्ना आपूर्ति कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए जिला गन्ना अधिकारी की पूर्वानुमति से अन्य कर्मचारियों को सम्बद्ध कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण उत्तरदायित्व सचिव का ही होगा।

5 (3) गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिनों के अन्दर गन्ना समिति द्वारा सम्बन्धित चीनी मिल को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियम) आदेश 1954 के प्राविधानों के अनुसार गन्ने का आफर दिया जायेगा तथा उक्त आफर के आधार पर ही चीनी मिल एवं गन्ना समिति के मध्य उक्त आदेश 1954 में निर्धारित प्रारूप 'सी' पर अनुबन्ध किया जायेगा। जो गन्ना समितियां एवं चीनी मिलें उपरोक्तानुसार अनुबन्ध नहीं करेगी, उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5 (4) गन्ना समिति द्वारा कृषकों से किये गये सट्टे के अनुसार ही चीनी मिल को आफर दिया जायेगा। सट्टें से अधिक ऑफर देने पर समिति के सचिव को उत्तरदायी माना जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि गन्ना खरीद ऑफर अनुबन्ध के अनुसार किया जाए। जिला गन्ना अधिकारी तथा क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त अपने अधीनस्थ गन्ना समितियों में यह सुनिश्चित कर लेंगे कि समय के अन्दर ऑफर तथा अनुबन्ध की कार्यवाही नियमानुसार निर्धारित प्रारूप 'ए' एवं 'सी' पर सम्पन्न हो गई है। यदि चीनी मिल द्वारा समिति से प्राप्त ऑफर की स्वीकृति का निर्णय 15 दिनों के अन्दर नहीं लिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि चीनी मिल को समिति द्वारा प्रेषित ऑफर मान्य है।

5 (5) ऐसे परिवार जहां जमीन तो परिवार के कई सदस्यों के नाम है, किन्तु विगत में गन्ने की आपूर्ति एक सदस्य के माध्यम से हो रही है, ऐसे मामलों में पूर्ववर्ती सदस्य के नाम से ही गन्ने की आपूर्ति की सुविधा अनुमन्य रहेगी, किन्तु कृषक के गन्ना आपूर्ति अभिलेखों में नाम के आगे कोष्ठक में संयुक्तं

खातेदारों की संख्या व नाम का उल्लेख अवश्य किया जायेगा । यदि संयुक्त परिवार के सदस्य अपना खाता अलग करके गन्ना आपूर्ति करना चाहें तो जिला गन्ना अधिकारी की अनुमति के उपरान्त उनका बेरिक कोटा भूमि के बराबर समानुपातिक आधार पर सदस्यों के बीच बांट दिया जाए, प्रतिबन्ध यह रहेगा कि पूर्व में लिए गये ऋण की वसूली एक अथवा समस्त खातेदारों के द्वारा आपूर्ति किए गये गन्ने के मूल्य के भुगतान से कर ली जायेगी । संयुक्त परिवार के सदस्यों के खातों का ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा शत-प्रतिशत, जिला गन्ना अधिकारी द्वारा 50 प्रतिशत एवं क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त द्वारा 25 प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा ।

5 (6) ऐसे गन्ना कृषक जो समिति क्षेत्र में एक से अधिक स्थान पर गन्ने की खेती करते हैं, उनके समस्त खेतों का विवरण संकलित करके ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा एक ही स्थान से सट्टा चलाया जायेगा । ट्रान्सफर इन्ट्री की जांच सम्बन्धित ब्लाक इन्वार्ज द्वारा राजस्व अभिलेखों के आधार पर ही की जायेगी तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही दूसरे गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा ट्रान्सफर इन्ट्री स्वीकार की जाएगी, जिससे कोई कृषक इसका अनुचित लाभ न उठा सके । सामान्यतः कृषक का सट्टा वहीं चालू रखा जायेगा, जिस ग्राम में वह समिति का सदस्य हो । यदि अत्यधिक दूरी के कारण कोई कृषक एक स्थान पर गन्ना आपूर्ति करने में असमर्थ हो तो उस दशा में जिला गन्ना अधिकारी के आदेशानुसार कृषकों का सट्टा समिति के दो क्रय केन्द्रों में चालू रखा जा सकता है, लेकिन कृषक से समिति के कर्ज की वसूली के लिए गन्ना समिति के सचिव का उत्तरदायित्व होगा । सचिव का यह भी दायित्व होगा कि ऐसे कृषक कोई अनुचित लाभ न उठा सके । समिति के कार्य क्षेत्र के बाहर की ट्रान्सफर इन्ट्री किसी भी दशा में जिला गन्ना अधिकारी के पूर्वानुमति के बिना स्वीकार नहीं की जायेगी । ट्रान्सफर इन्ट्री से सम्बन्धित कृषकों का रजिस्टर गन्ना विकास परिषद स्तर पर अनुरक्षित रखा जायेगा जिसे ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा राजस्व अभिलेख एंव गन्ना सर्वे के आधार पर सत्यापित किया जायेगा ।

5 (7-1) — कृषकों के लिए निर्धारित सट्टा के आधार पर ही कलेण्डर बनाया जायेगा जिसे ग्रामवार कृषक कोड नम्बर अंकित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर सभी सूचनाओं का स्पष्ट रूप से सही सही विवरण अंकित किया जायेगा ।

5 (7-2) — कृषकों को कलेन्डर मिल चलने के कम से कम 7 दिन पूर्व कृषकों में वितरित कर दिया जायेगा । अन्तिम रूप से जारी कलेन्डर/कम्प्यूटर में तदोपरान्त कोई संशोधन अनुमन्य नहीं होगा ।

5 (7-3) — कलेण्डर में कृषक के प्रारम्भ से लेकर अंतिम पर्ची का क्रमांक अंकित किया जायेगा । पर्चियों पर सीरीज के कम में क्रमांक मार्किंग का

उत्तरदायित्व सम्बन्धित सचिव एवं मिल दोनों का संयुक्त रूप से होगा। ऐसी जारी पर्चियों पर मिल की ओर से मुख्य गन्ना प्रबन्धक/जी0एम0 केन तथा सम्बन्धित गन्ना समिति के सचिव दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे तथा इनके नमूने प्रत्येक क्रयकेन्द्र पर उपलब्ध रहेंगे। यदि पर्चियों की संख्या अधिक होने के कारण सचिव एवं मुख्य गन्ना प्रबन्धक/जी0एम0 केन सभी पर्चियों पर हस्ताक्षर न कर पायें तो वे अपने अधीनस्थ स्टाफ को पर्चियों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं। किन्तु प्रत्येक संस्था (मिल/समिति) से इन प्राधिकृत कर्मचारियों की संख्या 3 से अधिक नहीं होगी। ऐसे अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर के नमूने सम्बन्धित क्रय केन्द्रों पर भेजे जायेंगे। इस सम्बन्ध में चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक एवं सचिव व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। इन हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत कर्मचारियों को पूरे सत्र में कभी बदला नहीं जायेगा।

5 (7-4) शीघ्र पकने वाली तथा मध्य देर से पकने वाली प्रजातियों की पर्चियों की सीरीज व रंग में अन्तर किया जायेगा। इसी प्रकार गन्ना प्रतियोगिता तथा काप कटिंग में उपयोग की जाने वाली पर्चियों की सीरीज व रंग में भी भिन्नता होगी।

5 (7-5) चीनी मिल द्वारा कम से कम चार दिन पूर्व गन्ना आपूर्ति का इण्डेन्ट समिति को दिया जाना अनिवार्य होगा। मिल एवं गन्ना समिति के सचिव का उत्तरदायित्व होगा कि तुलने वाली पर्चियों की सीरीज सहित पर्ची क्रमांक की सूची तीन दिन पूर्व सम्बन्धित क्रयकेन्द्र तथा ग्राम के किसी सार्वजनिक स्थान पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाती रहे, जिससे कृषक अपनी पर्ची के क्रमांक को देखकर गन्ना आपूर्ति सुविधापूर्वक कर सकें। क्रय केन्द्र पर दैनिक तौल संबंधी विवरण भी यथा सम्भव नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसमें उस तिथि में तुलने वाली पर्ची (अगैती/सामान्य प्रजातियाँ) का प्रारम्भिक व अन्तिम क्रमांक सहित उपलब्ध कुल तुलने वाली पर्चियों की संख्या तथा निरस्त अथवा समायोजित होने वाली पर्चियों का भी उल्लेख किया जायेगा। उपरोक्त के लिए गन्ना प्रबन्धक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा समिति सचिव अपने अपने क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होंगे।

5 (7-6) कृषक अपना गन्ना मिल गेट अथवा क्रयकेन्द्रों पर जहां से वह सम्बद्ध कृषक है, की प्रदर्शित सूची के अनुरूप ही निर्धारित तिथि/समय में तुलवायेंगे। विशेष परिस्थितियों में यदि कृषक पर्ची पर अंकित तिथि में गन्ना नहीं तुलवा सकता है, तो वह निर्धारित तिथि के 48 घण्टे अर्थात् दो दिन में सचिव से तिथि परिवर्तित कराकर अपना गन्ना तुलवा सकता है, अथवा पर्ची पर गन्ना न तुलवाने की दशा में उपरोक्त अवधि में समिति कार्यालय में पर्ची जमा कर सकता है। ऐसी जमा की गई पर्चियों का निर्गमन पुनः कलेण्डर से जारी करने की व्यवस्था स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप की जायेगी। जमा

की जाने वाली पर्चियों का लेखा—जोखा गन्ना समिति की पंजिका में रखा जायेगा । यदि किसी कृषक की पर्ची खो जाती है, तो कृषक से शपथ—पत्र लेकर पुनः नये सीरीज में नया क्रमांक देकर पर्ची निर्गत की जायेगी । यदि कृषक के द्वारा उपरोक्त सुविधा का दुरुपयोग किया जाता है, तो उसकी

विस्तृत जांच ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा करायी जायेगी और जांच आख्या को केन—इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी में निर्णय हेतु प्रेषित किया जायेगा ।

5 (8) — मिल चलने से एक सप्ताह पूर्व कलेण्डर अनिवार्य रूप से तैयार कर लिए जायेंगे तथा कृषकों को कलेण्डर की प्रति तथा पासबुक उपलब्ध करा दी जायेगी । कृषकों को कलेण्डर निर्धारित समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित सचिव एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा चीनी मिलों का होगा ।

5 (9) — गन्ने की समानुपातिक खरीद के सिद्धान्त को अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा । चीनी मिल द्वारा समानुपातिक आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए ही समिति को इन्डेण्ट दिया जाएगा तथा समिति के सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि जारी पर्चियों की सीरीज व क्रमांक सम्बन्धित क्रयकेन्द्र व ग्राम में अवश्य प्रदर्शित हो जाये । जिला गन्ना अधिकारी केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में इसकी बराबर समीक्षा करते रहेंगे तथा आवश्यकतानुसार क्रयकेन्द्रों के इन्डेन्ट का निर्धारण करेंगे जिसका पालन चीनी मिल द्वारा किया जायेगा ।

5 (10) — समानुपातिक खरीद सुनिश्चित करते हुये यह ध्यान रखा जायेगा कि सभी क्रयकेन्द्रों का गन्ना लगभग एक साथ समाप्त हो । कोई क्रयकेन्द्र तभी बन्द किया जायेगा जबकि कलेण्डर में अंकित सभी कृषकों की पर्चियां जारी हो चुकी हों । सुरक्षण आदेश में अंकित निर्देशों के अनुसार चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र का समापन गन्ना आयुक्त की पूर्व अनुमति के उपरान्त ही किया जायेगा ।

5 (11) — बकायेदार कृषकों से उनके ऋण की वसूली के लिए ऋण की पर्चियां अधिकतम दैनिक इण्डेन्ट की 10 प्रतिशत की सीमा तक जिला गन्ना अधिकारी की लिखित पूर्वानुमति से जारी की जा सकेगी । ऐसी पर्चियों की पहचान के लिये समिति ऋण की वसूली हेतु मोहर लगायी जायेगी तथा समिति स्तर पर इसकी कड़ाई से समीक्षा की जाए कि ऋण वसूली हेतु जारी पर्चियों पर गन्ना आपूर्ति हो रहा है अथवा नहीं । ऋण वसूली का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित सचिव का होगा ।

5 (12) — स्वीकृत गन्ना पौधशाला से बीज लेने वाले कृषकों को पर्चियां आवश्यकतानुसार सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उसी मात्रा तक दी जाएगी जितनी मात्रा में उनके द्वारा बीज स्वीकृत गन्ना

पौधशाला से प्राप्त किया गया है। ऐसी जारी की गई पर्चियों का विवरण एक पृथक रजिस्टर में रखा जाएगा।

5 (13) — प्राथमिकता के आधार पर पर्चिया केवल राजस्व विभाग/जिलाधिकारी द्वारा घोषित दैवीय आपदा के लिए कृषकों के सट्टे के भीतर दी जाएगी तथा जारी पर्ची की सीरीज भिन्न होगी और इसी प्रकार गन्ना प्रतियोगिता तथा काप कटिंग के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर पर्चियां कृषकों के सट्टे के भीतर दी जायेगी। ऐसी जारी की जाने वाली पर्चियों के आदेश समिति के सचिव सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की संस्तुति के आधार पर देगे। ऐसी पर्चियों का लेखा एक रजिस्टर में रखा जायेगा। ऐसी पर्चियां व्यापक जांच पड़ताल के बाद ही दी जायेगी। प्राकृतिक आपदा जैसे ओला, पाला आदि से प्रभावित गन्ने की प्राथमिकता के आधार पर जिला गन्ना अधिकारी की पूर्वानुमति के उपरान्त की जा सकेगी।

5 (14) — गन्ना आयुक्त/जिलाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना परिवार नियोजन एवं राष्ट्रीय बचत कार्यक्रमों के नाम पर किसी कृषक को प्राथमिकता के आधार पर पर्ची नहीं दी जायेगी।

5 (15) — जारी की गयी पर्चियों पर बैलगाड़ी अथवा ट्राली, जिसकी पर्ची जारी की गई हो, की प्रिटिंग/मुहर लगायी जायेगी। बैलगाड़ी, ट्राली, ट्रक के गन्ने का वजन निर्धारण पूर्व वर्षों के वास्तविक औसत वजन को ध्यान में रखकर समिति/चीनी मिल की राय से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जायेगा।

5 (16) — यदि पेराई सत्र के दौरान यह पता चले कि किसी समिति सदस्य के पास उतना गन्ना नहीं है, जितने के लिए उसने सट्टा किया है, तो गन्ना समिति के सचिव कृषक को नोटिस देते हुए पर्चियां तुरन्त बन्द कर देंगे और अग्रिम कार्यवाही हेतु अपनी आख्या ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/जिला गन्ना अधिकारी को भेजेंगे। ऐसे गन्ना कृषक जिन्होंने गलत तथ्य प्रस्तुत करके अधिक/अनियमित सट्टा कराया है, उनकी सदस्यता समाप्त करने पर विचार किया जायेगा।

5 (17) — मिल तौल लिपिक द्वारा गन्ना समिति से जारी पर्ची पर मिल अधिकारी तथा सचिव के हस्ताक्षर के मिलान करने एवं भलीभौति जांच के उपरान्त ही किसान का गन्ना तौला जायेगा। एक समिति पर्ची पर केवल एक ही बार गन्ने की तौल की जायेगी। किसी समिति पर्ची पर एक से अधिक बार तौल करने पर मिल तौल लिपिक तथा समिति लिपिक सीधे उत्तरदायी होगे तथा उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक क्रय केन्द्र/गेट पर तुली हुई पर्चियों की कमवार तौल शीट तैयार की जायेगी, जिस पर मिल लिपिक तथा समिति लिपिक दोनों के हस्ताक्षर होंगे। यदि

समिति लिपिक नहीं है तो मिल लिपिक का हस्ताक्षर मान्य होगा । तौल शीट की एक प्रति प्रतिदिन समिति कार्यालय में प्राप्त कराना सम्बन्धित चीनी मिल की जिम्मेदारी होगी ।

5 (18) किसी भी पर्ची पर निर्धारित वजन के 15 प्रतिशत से अधिक गन्ना नहीं तौला जायेगा, यदि जांच के दौरान यह ज्ञात होगा कि किसी पर्ची पर निर्धारित वजन से अधिक गन्ना तौला गया है, तो अधिक पूर्ति किए गये गन्ने की मात्रा को तुरन्त समायोजित किया जायेगा । यदि किसी चीनी मिल में निर्धारित वजन से अधिक गन्ना तौल करने के प्रकरण अधिक पाये जाते हैं, तो इसे मिल की शिथिलता एवं संलिप्तता मानते हुए, सम्बन्धित चीनी मिल के अध्यासी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

5 (19) – विगत वर्षों में चीनी मिल को सुरक्षित/अभ्यर्पित क्रयकेन्द्रों के कुछ कृषक अपने साधनों द्वारा सम्बन्धित चीनी मिलों के गेट पर गन्ना आपूर्ति करते रहे हैं। ऐसे कृषकों को इस वर्ष भी उसी चीनी मिल के गेट/क्रयकेन्द्रों में से किसी एक पर ही गन्ना आपूर्ति की सुविधा रहेगी। यदि कृषक क्रयकेन्द्र से मिलगेट पर गन्ना आपूर्ति की सुविधा चाहते हैं तो मिल की सहमति से ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक से स्वीकृति के उपरान्त यह सुविधा अनुमन्य होगी। एक बार प्रदान की गई सुविधा पूरे सत्र के लिए प्रभावी होगी। यदि कोई कृषक किन्हीं विशेष व्यवहारिक कठिनाईयों वश उसी चीनी मिल के दूसरे क्रय केन्द्रों पर गन्ना आपूर्ति की सुविधा चाहता है तो आवश्यक जांच तथा चीनी मिल एवं सम्बन्धित गन्ना समिति की सहमति के उपरान्त यथोचित आदेश सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा प्रसारित किया जा सकता है।

5 (20) – जले हुये गन्ने की पर्ची कृषक के आवेदन करने पर सचिव एवं गन्ना प्रबन्धक अथवा उसके प्रतिनिधि के स्थल सत्यापन के पश्चात सट्टे के अन्तर्गत अलग सीरीज से जारी की जा सकेगी। इसका विवरण पृथक में अंकित किया जायेगा तथा उस पर समिति के सचिव व गन्ना प्रबन्धक दोनों के हस्ताक्षर होगे ।

6— गन्ना आपूर्ति कार्य का कम्प्यूटरीकरण :

6 (1) कम्प्यूटर गन्ना समितियों अथवा गन्ना समितियों की ओर से चीनी मिलों द्वारा स्वयं स्थापित करके अथवा निजी कम्प्यूटर संस्था से अनुबन्ध करके इस व्यवस्था को संचालित किया जायेगा, जिसकी पूर्व स्वीकृति गन्ना आयुक्त से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।

6 (2)— कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था का संचालन उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियम) अधिनियम—1953 एवं नियमावली 1954 तथा गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत आपूर्ति नीति तथा समय—समय पर दिये सुसंगत निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा ।

6 (3)—कम्प्यूटरीकरण से गन्ना कृषकों का सीधा हित एवं उद्देश्य जुड़ा हुआ है। अतः इस व्यवस्था में पूर्ण विश्वसनीयता रखी जायेगी तथा इसे गन्ना समिति, गन्ना विकास विभाग एवं चीनी मिल के समन्वित नियंत्रण में रखा जायेगा।

6 (4)— समिति स्तर पर, अथवा समिति की सहमति से मिल स्तर पर कम्प्यूटरीकरण करके कृषकों को आपूर्ति हेतु पर्चियां निर्गत कराने तथा बैंक एडवाइज भेजने आदि सभी कार्य को सम्पादित कराने के लिए, की गई व्यवस्था पूर्णतः केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी के पर्यवेक्षण/निर्देशन में रहेगी।

6 (5)—गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित साफ्टवेयर के सत्यापन हेतु आवश्यक सिक्योरटी चेक की व्यवस्था की जायेगी, जिसका अग्रेतर संचालन केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की अनुमति के उपरान्त ही किया जायेगा।

6 (6) मिलगेट पर गन्ने से भरी बैलगाड़ी से लेकर भरे ट्रक तक की तौल करने की क्षमता वाला हस्तचालित तौलयंत्र (टेस्टिंग बेब्रिज) जांच हेतु स्थापित किया जायेगा।

6 (7)—गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा सुरक्षण आदेशों तथा उसमें समय—समय पर किये गये संशोधन को आदेश प्राप्ति के 48 घण्टे के अन्दर कियान्वित कर दिया जायेगा।

6 (8)—गन्ना सर्वेक्षण आंकड़ों में यदि कोई संशोधन अथवा परिवर्तन किया जाता है तो उसका निर्धारित प्रारूप पर रजिस्टर तैयार किया जायेगा तथा यह संशोधन केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में समीक्षा के उपरान्त निर्णय के आधार पर किया जायेगा।

6 (9)— गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को पूर्व में सूचना/स्वीकृति के उपरान्त पेराई सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व गन्ना आपूर्ति, गन्ना तौल एवं गन्ना मूल्य भुगतान हेतु साफ्टवेयर का उपयोग किया जायेगा। अन्तिम कलेण्डर जारी करने के उपरान्त गोपनीय पासवर्ड (लाक कोड) जिला गन्ना अधिकारी द्वारा डाला जायेगा। यदि पेराई सत्र में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है, तो जिला गन्ना अधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति/देख-रेख में संशोधन कराते हुए, पुनः पासवर्ड (लाक—कोड) डाल दिया जायेगा। जिला गन्ना अधिकारी, इस आशय का प्रमाण—पत्र संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त के माध्यम से उप गन्ना आयुक्त (क्रय) को प्रेषित करेंगे।

6 (10)—कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था के अन्तर्गत फील्ड में किए गये गन्ना सर्वेक्षण के आधार पर चेकिंग के उपरान्त अन्तिम किए गए सर्वे आंकड़ों को ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा उसे यथावत् फीड किया जायेगा। इस फीड किए गये सर्वेक्षण तथा गन्ने की आपूर्ति के आंकड़े को सी0डी0 रोम पर कापी किया जायेगा, जिसे सुरक्षित

रखा जायेगा। पेराई सत्र आरम्भ में इस प्रकार सृजित गन्ना आपूर्ति आंकड़ों की कापी करते हुए तीन सी0डी0 रोम तैयार कराई जायेगी, जिसमें

एक समिति कार्यालय में, एक कम्प्यूटर कार्यालय में तथा एक जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

6 (11) —कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत कृषकों के लिए सुलभ स्थान पर एक अतिरिक्त टर्मिनल लगाकर पूँछताछ केन्द्र स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा। उप गन्ना आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी व्यवस्था कर ली गई है।

6 (12) —कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू की जायेगी तथा इसे आंशिक रूप से कियान्वित करने का विकल्प नहीं होगा। गन्ना सर्वेक्षण एवं गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित आंकड़ों से लेकर बैंक एडवाइज बनाने तक की सम्पूर्ण व्यवस्था कम्प्यूटर से की जायेगी।

6 (13) —यदि चीनी मिल द्वारा कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था संचालित की जाती है तो इस कार्य हेतु गन्ना समिति के कमीशन से कोई कटौती नहीं होगी तथा कम्प्यूटर स्टेशनरी का समस्त व्यय चीनी मिल द्वारा वहन किया जायेगा।

6 (14) —कम्प्यूटर चाहें चीनी मिल/गन्ना समिति परिसर में (कहीं भी) स्थापित हो, विभागीय नीतियों के अनुसार गन्ने की आपूर्ति कराने तथा पर्ची निष्कासन का पूर्ण उत्तरदायित्व गन्ना समिति के सचिव, का होगा।

7— पेड़ी, शरदकालीन एवं शीघ्र पकने वाली गन्ने की प्रजातियों की आपूर्ति :

7 (1) —पेड़ी तथा शरदकालीन बावग को उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 31 जनवरी तक अथवा उसके पूर्व की तिथि, जब तक केवल पेड़ी एवं शरद बावग के गन्ने से मिल में पेराई सम्भव हो, गन्ने की आपूर्ति की जायेगी। एक फरवरी से अथवा उससे पूर्व जैसा कि पेड़ी तथा शरद बावग की उपलब्धता हो, पौधे गन्ने की आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। स्पष्टतः केवल पेड़ी गन्ने तथा शरद बावग के गन्ने की आपूर्ति पर एक फरवरी के बाद मिल को नहीं चलाया जायेगा। पौधा गन्ने की खरीद अवश्य की जायेगी। कुल अनुबन्धित गन्ने की अधिकतम 60 प्रतिशत सीमा तक गन्ने की आपूर्ति पेड़ी के रूप में 31 जनवरी तक की जायेगी चाहे उसके पास इससे अधिक पेड़ी गन्ना उपलब्ध हो। अतिरिक्त उपलब्ध पेड़ी गन्ने की आपूर्ति सामान्य गन्ने के पौधे के साथ ली जायेगी।

7 (2) —जिन चीनी मिल क्षेत्रों में शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का प्रतिशत अधिक हैं वहां पर चीनी मिलों की गन्ना पेराई 15 दिसम्बर तक केवल शीघ्र पकने वाली प्रजातियों से आपूर्ति के आधार पर यथा सम्भव की जायेगी।

प्रत्येक दशा में 15 दिसम्बर से अथवा शीघ्र पकने वाले प्रजातियों की उपलब्धता कम होने की स्थिति में उससे पूर्व की तिथि से सामान्य प्रजातियों की पेड़ी की आपूर्ति भी प्रारम्भ कर दी जायेगी।

7 (3) – जहां शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का गन्ना क्षेत्रफल अधिक है ऐसी मिलों को 15 अक्टूबर या इसके पूर्व चलाने के प्रयास किये जाए। शीघ्र पकने वाली जाति का प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति हेतु सट्टा केवल कुल सट्टे का सामान्यता उस सीमा तक ही किया जायेगा जिस सीमा तक उसके क्षेत्र में शीघ्र प्रजातियों का प्रतिशत है किन्तु यह 50 प्रतिशत से अधिक ग्राहय न होगा।

7 (4) – शीघ्र पकने वाली प्रजातियों एवं शरदकालीन बावग के गन्ने की आपूर्ति में प्राथमिकता के कारण कृषकों को दी गई पर्चियों का समायोजन एक साथ करके अवशेष पर्चियों का निर्गमन बन्द नहीं किया जायेगा, बल्कि उनकी पर्चियां अन्य कृषकों के साथ ही नियमित रूप से प्रदान की जायेगी।

7 (5) – यदि जांच के समय यह पाया गया कि कोई कृषक शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के नाम पर सामान्य प्रजाति के गन्ने का अपमिश्रण करके चीनी मिल को आपूर्ति करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे कृषक को शीघ्र पकने वाले गन्ने की प्रजाति पर मिलने वाला अधिक मूल्य देय नहीं होगा तथा गन्ना मूल्य का भुगतान सामान्य प्रजाति की दर से किया जायेगा। साथ ही ऐसे कृषक के विरुद्ध सम्बन्धित समिति के सचिव/चीनी मिल के स्तर से दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8— लघु गन्ना कृषकों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा :

8 (1) – अपेक्षाकृत छोटे गन्ना किसानों के गन्ने को प्राथमिकता के आधार पर चीनी मिल चलने के 45 दिन के अन्दर पेड़ी गन्ना तथा पौधे गन्ने को 1 फरवरी से 45 दिन के अन्दर, क्रय किये जाने की व्यवस्था की जायेगी। 04 बैलगाड़ी (60 कुन्तल) सट्टा वाले कृषक ही छोटे कृषक माने जायेंगे।

8 (2) – चीनी मिल क्षेत्रों के लिए ऐसी प्रजातियों के गन्ने को जिन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया जा चुका है, परिपक्वता अवधि को ध्यान में रखते हुए बिलम्ब से आपूर्ति करने की व्यवस्था की जायेगी।

9—सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रित सदस्यों की गन्ना आपूर्ति:-

सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके मृतक होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी को अन्य सदस्यों की अपेक्षा गन्ना आपूर्ति में 1 जनवरी से 20 प्रतिशत की प्राथमिकता दी जायेगी। यह सुविधा कृषक के सट्टे की मात्रा में समायोजित की जोयगी। सैनिक अथवा भूतपूर्व सैनिक के

नाम यदि जमीन नहीं है एवं उसके माता अथवा पिता के नाम सट्टा होता है तो उसके माता/पिता के सट्टे में भी यह सुविधा देय होगी। सैनिक होने का प्रमाण पत्र सेना का सी0ओ0 या सचिव, जिला सैनिक कल्याण परिषद का मान्य होगा।

10—गन्ने का पुनः सर्वेक्षण (री—सर्वे) :-

सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं जिला गन्ना अधिकारी से प्राप्त प्रत्यावेदनों के परीक्षण के उपरान्त प्रत्येक चीनी मिल के लिए क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त द्वारा यथा आवश्यक गन्ने के री—सर्वे के आदेश प्रसारित किए जाएंगे।

11 (1)— गन्ना मूल्य भुगतान :-

कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान पूर्व वर्षों की भाँति बैंकों के माध्यम से बैंक एडवाइज द्वारा किया जायेगा। बैंकों के माध्यम से गन्ना मूल्य भुगतान में यह ध्यान में रखा जाये कि जो कृषक जिस बैंक शाखा के निकट हो उसका खाता भी उसी बैंक की शाखा में खुलवाया जाये। किसी एक शाखा में बहुत अधिक कृषक सम्बद्ध न किए जाए। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में यदि किसी कारण वश कोई कृषक बैंक में खाता नहीं खुलवाता है तो गन्ना आयुक्त की पूर्व अनुमति से एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से गन्ना मूल्य का भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में गन्ना कृषक को नकद भुगतान नहीं किया जायेगा। जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त का यह दायित्व होगा कि वह इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा इसका उल्लंघन करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित करायें।

11 (2)— जहां चीनी मिल गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है वहां प्रेषित बैंक एडवाइज की एक प्रति सम्बन्धित चीनी मिलें नियमित एवं अनिवार्य रूप से सम्बन्धित गन्ना समिति को उपलब्ध करायेंगी। समिति के सचिव का यह दायित्व होगा कि वह इसकी गम्भीरता से जांच करे तथा अनियमतता परिलक्षित होने की दशा में तत्काल निराकरण सुनिश्चित कराते हुए उच्च स्तर को सूचित करें। समिति ऋण व अन्य कटौतियों की स्थिति की भी जांच करते रहें। चीनी मिल समिति ऋण एवं कटौतियों का भुगतान गन्ना मूल्य के साथ—साथ समितियों को करेंगी।

11(3) चीनी मिलें गन्ना मूल्य का पाक्षिक रूप से जिस तिथि तक कृषकों को भुगतान करें, समानुपातिक/कमिक रूप से उसी तिथि तक खरीदे गये गन्ने पर देय गन्ना विकास कमीशन का भी भुगतान सम्बन्धित गन्ना समितियों/गन्ना विकास परिषदों को सुनिश्चित करेंगी।

12— गन्ना आपूर्ति एवं गन्ना मूल्य भुगतान के अभिलेखों की जांच तथा निरीक्षण :—

12 (1)— कृषकवार सट्टा निर्धारण सूचियों की एक प्रति जिला गन्ना अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। यथा आवश्यक जिलाधिकारी सूचियों की जांच अपने स्तर से करा सकते हैं तथा जांच रिपोर्ट से गन्ना आयुक्त को भी अवगत करा सकते हैं।

12 (2)— कृषकवार सट्टा निर्धारण सूची एवं कलेण्डर जो चीनी मिल के पास उपलब्ध है या चीनी मिल को दिया जायेगा उसके आंकड़ों की जांच चीनी मिल द्वारा भी कराई जा सकती है तथा जांच परिणाम से जिला गन्ना अधिकारी, उप गन्ना आयुक्त तथा गन्ना आयुक्त को अवगत कराया जायेगा।

12 (3)— समिति के संचालक मण्डल/प्रशासक अपने—अपने कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित ग्रामों की कृषकवार सट्टा निर्धारण सूचियों की आकस्मिक जांच कर सकते हैं। जांच हेतु सूचियां समिति के सचिव द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

12 (4)— सम्बन्धित सचिव गन्ना समिति, ज्येठा गन्ना विकास निरीक्षक एवं जिला गन्ना अधिकारी प्रत्येक पक्ष में एक बार गन्ना आपूर्ति तथा गन्ना मूल्य भुगतान अभिलेखों की जांच अवश्य करेंगे तथा जांच प्रत्यावेदनों द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को समय—समय पर अवगत कराते रहेंगे। जांच में पायी गयी त्रुटियों के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित करायेंगे।

12 (5)— गन्ना सर्वेक्षण, आपूर्ति व्यवस्था, निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा एवं गन्ना समितियों, चीनी मिलों का आकस्मिक निरीक्षण गन्ना आयुक्त/शासन स्तर से नियुक्त अधिकारियों द्वारा भी समय—समय पर किया जायेगा।

12 (6)— सम्बन्धित चीनी मिल एवं गन्ना समिति का यह दायित्व होगा कि जांच के समय वांछित अभिलेख तत्काल जांच अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

13— केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी :—

13 (1)— प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र हेतु एक केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी गठित होगी जिसके अध्यक्ष एवं संयोजक सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक मिल को गन्ना आपूर्ति करने वाली सभी गन्ना समितियों के अध्यक्ष एवं सचिव तथा चीनी मिल के सामान्य प्रबन्धक/गन्ना प्रबन्धक इस कमेटी के सदस्य होंगे। जिला गन्ना अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चीनी मिल क्षेत्र की केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठकें नियमित रूप से पेराई सत्र की अवधि में प्रत्येक माह की 2 एवं 17 तारीख अथवा अवकाश होने की दशा में उक्त के तत्काल बाद अनिवार्य रूप से होती रहे।

13 (2)– उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद) आदेश 1954 की धारा 5 (4) के प्राविधानों के अनुसार समानुपातिक गन्ना खरीद की चीनी मिलवार समीक्षा की जायेगी तथा उपरोक्त आदेश की धारा—5(5) के अनुसार यदि चीनी मिल समानुपातिक गन्ना खरीद नहीं करती है तो प्रकरण पर क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त द्वारा वैधानिक कार्यवाही करते हुए गन्ना आयुक्त को सूचित किया जायेगा।

13 (3)– जिला गन्ना अधिकारी/अध्यक्ष केन इम्पलीमेन्टेशन कमेटी का यह दायित्व होगा कि यदि कोई चीनी मिल समानुपातिक ढंग से गन्ने की खरीद न कर रही हो तो वे केन इम्पलीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में समीक्षा करते हुए क्य केन्द्रवार इण्डेन्ट निर्धारित करेंगे तथा इसका अनुपालन सम्बन्धित चीनी मिल द्वारा किया जायेगा।

13 (4)– केन इम्पलीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में गन्ने की उपलब्धता, क्य केन्द्रों का संचालन, कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था की समीक्षा, गन्ना पेराई की प्रगति, क्य केन्द्रवार समानुपातिक गन्ना खरीद, गन्ना मूल्य भुगतान हेतु टैगिंग आदेश का पालन, समितिवार एवं चीनी मिलवार आफर एवं एग्रीमेन्ट की कार्यवाही, तौल लिपिकों के पाक्षिक स्थानान्तरण, ऋण वसूली की प्रगति तथा गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश के स्तर से समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन व अन्य आवश्यक बिन्दुओं की समीक्षा की जायेगी। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त एवं गन्ना आयुक्त (क्य) के नाम से प्रत्येक माह की 3 तथा 18 तारीख को जिला गन्ना अधिकारी द्वारा नियमित रूप से प्रेषित की जायेगी।

14— गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में स्थानीय समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण :—

14 (1)–गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में यदि कोई विशेष तात्कालिक समस्या उत्पन्न हो तो जिला गन्ना अधिकारी/क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त द्वारा तुरन्त नियमानुसार निराकरण करते हुए कृत कार्यवाही से गन्ना आयुक्त को अवगत कराया जायेगा।

14 (2)– गन्ना आपूर्ति सम्बन्धी शिकायतों के शीघ्र निराकरण हेतु जिला गन्ना अधिकारी द्वारा प्रत्येक समिति क्षेत्र में किसी गन्ना विकास निरीक्षक को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। शिकायत अधिकारी द्वारा शिकायतों का एक रजिस्टर रखा जायेगा तथा शिकायतों का निस्तारण करके सम्बन्धित शिकायतकर्ताओं को भी अवगत करायेंगे।

15— नीतियों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही का दायित्व :—

अपने—अपने कार्यक्षेत्र में जिला गन्ना अधिकारी एवं सहायक चीनी आयुक्त का यह दायित्व होगा कि वे उक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित संस्था/कर्मचारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

16— गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों की समय सारिणी :—

गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों की संक्षिप्त समय सारिणी एवं उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारियों का विवरण संलग्नक में अंकित है।

17— आई0एस0ओ0 प्रमाणीकरण :—

चीनी मिलों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि अपने सिस्टम एवं प्रोसीजर को मानकीकृत कराने के लिए आई0एस0ओ0 प्रमाणीकरण प्राप्त करने की दिशा में अभी से प्रयास प्रारम्भ कर दें।

उपरोक्त निर्देश उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली 1954 के नियम—57 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किए जा रहे हैं।

ह0————

(कामरान रिज़वी)

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन संख्या— 847 /सी/ क्रय लखनऊ : दिनांक—

22—06—2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त गन्ना समितियों के सचिव, गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना रक्षा निरीक्षक को इस आशय से कि वे उपर्युक्त निर्देशों का पूर्णरूप से अनुपालन करें।

2—प्रधान प्रबन्धक/अध्यासी, समस्त चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश।

3—प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ।

4—समस्त गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

5—समस्त उप चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

6—प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ।

7—मुख्य सम्परीक्षा अधिकारी, लखनऊ को इस आशय से कि वे कृपया गन्ना समितियों को सम्परीक्षा के लिए सम्परीक्षकों एवं ज्येष्ठ गन्ना सम्परीक्षकों द्वारा निर्धारित जांच सुनिश्चित करें।

8—समस्त क्षेत्रीय सम्परीक्षा अधिकारी।

9—समस्त गन्ना सम्परीक्षकों को इस निर्देश के साथ के वे प्रत्येक ब्लाक में 15 प्रतिशत बेसिक कोटा, सट्टा, गन्ना आपूर्ति कलेण्डर तथा गन्ना पूर्ति से सम्बन्धित अन्य अभिलेखों की जांच करेंगे।

10—निदेशक, सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, पार्क रोड, लखनऊ।

- 11—समस्त जिला मैजिस्ट्रेट (गन्ना उत्पादक जिले)।
- 12—समस्त मण्डालयुक्त (गन्ना उत्पादक मण्डल)।
- 13—समस्त अधिकारी मुख्यालय।
- 14—मुख्य प्रचार अधिकारी, मुख्यालय एवं समस्त क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नीति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए इसका समुचित प्रचार किया जाय। इन निर्देशों की जानकारी गन्ना किसानों को ग्राम सभाओं की बैठक करके, समिति के सूचना पट तथा स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित करके, कराई जाये।
- 15—यू०पी० शुंगर मिल्स एसोसियेशन, चिन्टल हाउस, लखनऊ।
- 16—निदेशक, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शांहजहांपुर, एवं निदेशक उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ।

ह०————

(डा०कृपाल सिंह)

उप गन्ना आयुक्त(क्य)
कृते गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों की समय-सारणी

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी
1	नये सदस्यों की भर्ती	31 अगस्त, 2011 तक	सचिव, गन्ना समिति
2	सदस्यता सूची की जांचें एवं सत्यापन	30 सितम्बर	सचिव, गन्ना समिति एवं ज्येऽ गोविऽनि०
3	कृषकवार सट्टे की मात्रा का आगणन	30 जून	सचिव, ज्येऽ गोविऽनि०, चीनी मिल प्रधान प्रबन्धक / अध्यासी
4	कृषकवार सट्टे की सूचियों का सार्वजनिक प्रदर्शन	1 से 15 अगस्त, 2011 तक	सचिव / ज्येऽगोविऽनि० / सम्बन्धित चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक / अध्यासी
5	प्री-कलेण्डर की तैयारी	पश्चिमी क्षेत्र में 15 अक्टूबर तथा पूर्वी क्षेत्र में 31 अक्टूबर तक	सचिव / ज्येऽगोविऽनि० / सम्बन्धित चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक / अध्यासी
6	अन्तिम कलेण्डर की तैयारी तथा बैंकों के माध्यम से गन्ना मूल्य भुगतान हेतु व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।	मिल चलने के एक सप्ताह पूर्व	सचिव / ज्येऽगोविऽनि० / सम्बन्धित चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक / अध्यासी
7	कृषकों में अंतिम कलेण्डर व पासबुक का वितरण	मिल चलने के एक सप्ताह पूर्व	सचिव / ज्येऽगोविऽनि० / सम्बन्धित चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक / अध्यासी
8	केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक	प्रत्येक माह की 2 व 17 तारीखें	जिला गन्ना अधिकारी / क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त
9	केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठकों का ब्यौरा भेजना	प्रत्येक माह की 3 तथा 18 तारीखें	—तदैव—
10	गन्ना आपूर्ति तथा गन्ना मूल्य भुगतान के अभिलेखों का निरीक्षण	(क) सप्ताह में एक बार, (ख) पक्ष में एक बार (ग) आकस्मिक निरीक्षण	जिला गन्ना अधिकारी, क्षेत्रीय संयुक्त / उप गन्ना आयुक्त,
11	गन्ना मूल्य भुगतान हेतु टैगिंग आदेशों का प्रसारण	30 सितम्बर तक या गन्ना मूल्य निर्धारण होने के एक सप्ताह के भीतर	—तदैव—
12	गन्ना पेराई, गन्ना मूल्य भुगतान समितियों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान, गन्ना मूल्य टैगिंग आदेशों का अनुपालन आदि	परिपत्रांक-282 / सी / क्य दिनांक 11. 11.2003 के अनुसार	—तदैव—

13	गन्ना आयुक्त एवं शासन स्तर से नामित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण	समय-समय पर	सभी नामित अधिकारी
14	चीनी मिल चलने/बन्द होने की सूचना जिलाधिकारी, उप गन्ना आयुक्त/गन्ना आयुक्त कार्यालय को देना।	चीनी मिल चलने/बन्द होने की तिथि	सम्बन्धित चीनी मिलें, सचिव, सम्बन्धित गन्ना समितियां एवं जिला गन्ना अधिकारी

उपरोक्त कार्यों को अपने अधीनस्थ क्षेत्र में समय से पूर्ण कराने हेतु जिला गन्ना अधिकारी एवं संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त उत्तरदायी होंगे ।